

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-40/ 1576/30-3-14-32एम/2013टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 16 जून, 2014

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215(2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-39/1571/30-3-2014-32एम/2013टी0सी0, दिनांक 16 जून, 2014 द्वारा गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में यथोचित निर्णय लेने, उनके क्रियान्वयन व अनुश्रवण सुनिश्चित करने एवं सड़क सुरक्षा कोष के प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार उच्चस्तरीय समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1-	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5-	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6-	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7-	प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8-	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9-	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10-	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11-	पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
12-	निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13-	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

2- इस समिति की प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी तथा यथावश्यकता मासिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।

3- बैठक में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया समिति स्वयं निर्धारित करेगी।

ह0

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

संख्या-40/ 1576(1) /30-3-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

- 6- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- सचिव, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 11- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 13- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 14- निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त उप परिवहन आयुक्त/सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
- 16- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा मुद्रित/प्रकाशित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ शासन के परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।